



2026:AHC:173413

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 8496 सन् 2026

गुरेंद्र जीत सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

सम्बद्धः

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 8379 सन् 2026 :

रघबीर सिंह उर्फ वीरा एवं अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: अजय कुमार सिंह यादव, दिव्यांश

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

: जी०ए०

न्यायालय कक्ष संख्या - 71

माननीय राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति

1. दोनों प्रार्थना-पत्रों में सूचक की ओर से उपस्थित श्री एल० के० त्रिपाठी, अधिवक्ता तथा श्री चंद्र सेन पटेल, अधिवक्ता द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री एल० के० त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० को सुना गया तथा अभिलेख का भी अनुशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदकों की ओर से वाद अपराध संख्या 201 सन् 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 109, 351(3), पुलिस थाना-मिलक, जनपद-रामपुर में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किए गए हैं कि उन्हें अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामलों में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वर्तमान मामले में आवेदकों को मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। घटना का एक प्रति संस्करण है और आवेदक गुरिंदर जीत सिंह द्वारा सूचक एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 20.06.2026 को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त मामला, वाद अपराध संख्या 202 सन् 2026, एक प्रति मामला है और आवेदकों के पक्ष को आई चोटों का वर्तमान मामले में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि पक्षकारों के मध्य एक सिविल विवाद लंबित है, जिसमें प्रश्नगत संपत्ति पर एक अंतरिम आदेश प्रभावी है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक रघबीर और गुरेंद्र जीत सिंह का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। आवेदक रघबीर सिंह के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110(जी) के अंतर्गत कार्यवाही भी संस्थित की गई थी, तथापि समय के व्यतीत होने के कारण वह व्यपगत हो चुकी है।
5. सूचक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए० जी० ए० ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक गुरेंद्र जीत सिंह को घायल जितेंद्र सिंह को गोली लगने से चोटें कारित करने की विशिष्ट भूमिका दी गई है। जितेंद्र सिंह के शरीर पर गोली लगने की चोटें पाई गई हैं और अंतिम चिकित्सीय राय में चोटों को प्रकृति में गंभीर होने का अभिमत दिया गया है। सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने रिट सी संख्या 26315 सन् 2026 में दिनांक 17.07.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों को विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की कृपा की है। तथापि, विद्वान अधिवक्ताओं ने आवेदकों द्वारा उनके आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं किया है।
6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है।
7. पक्षकारों के मध्य एक संपत्ति विवाद प्रतीत होता है। आवेदक गुरेंद्र जीत सिंह को घायल जितेंद्र सिंह पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने और गोली लगने से चोट कारित करने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विशिष्ट भूमिका दी गई है। जितेंद्र सिंह के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को चोटें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अभियुक्तों को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामित किया गया है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आवेदक गुरेंद्र जीत सिंह, जिसे घायल पर गोली चलाने की विशिष्ट भूमिका दी गई है और घायल के महत्वपूर्ण अंग (चेहरा और गर्दन) पर गोली लगने की चोटें भी हैं, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक गुरेंद्र जीत सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, जो अग्रिम जमानत संख्या 8496 सन् 2026 है, एतद्वारा **निरस्त** किया जाता है।

8. जहाँ तक आवेदक रघबीर सिंह और जसविंदर सिंह का संबंध है, उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। घटना का एक प्रति संस्करण भी है और पक्षकारों के मध्य संपत्ति विवाद को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों को अधिक आरोपित किया जाना या मिथ्या रूप से आरोपित किया जाना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जितेंद्र सिंह की चोट रिपोर्टों के अनुशीलन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि गोली लगने की चोट के अतिरिक्त, जो गुरेंद्र जीत सिंह को आरोपित की गई है, उसे कोई अन्य चोट नहीं आई है। आवेदकों के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण किया गया है।
9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक आवेदक रघबीर सिंह और जसविंदर सिंह का संबंध है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।
10. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक रघबीर सिंह उर्फ वीरा और जसविंदर सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, जो अग्रिम जमानत संख्या 8379 है, **अनुमत** किया जाता है।
11. आवेदकगण **रघबीर सिंह उर्फ वीरा और जसविंदर सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपरोक्त वाद अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के साथ तत्काल अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाएगा:
 - i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे;

12. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 अगस्त, 2026

ए.पांडेय